Fourteenth Loksabha

Session : 8
Date : 14-08-2006
Participants : Rawat Prof. Rasa Singh,Bhargav Shri Girdhari Lal,Tripathy Shri Braja Kishore

an>

Title : Need to redress the grievances of rural postal services employees in the country.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में लगभग 1,55,300 डाकखाने हैं। इनमें से लगभग 1,36,000 डाकघरों की शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा संचालित होती हैं। पहले जिन को डाक विभाग के अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी कहा जाता था, अब उन्हें ग्रामीण डाक सेवक नाम दिया गया है परन्तु खेद है कि सर्दी, गर्मी एवं वर्ा आदि सभी मुसीबतों को सहते हुए कर्तव्य पालन के बावजूद देश की 80 प्रतिशत आबादी और भारत की ग्रामीण डाक सेवाओं को संचालित करने वाले लगभग 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक आज भी सरकार की उपेक्षा सौतले व्यवहार एवं भेदभावपूर्ण व्यवहार तथा शोाण के शिकार हो रहे हैं। इन ग्रामीण सेवकों पर इनके परिवारों के लगभग 15 लाख लोग आश्रित हैं। इनकी समस्याओं के निराकरण हेतु पूर्व में गठित जस्टिस तलवार समिति की सिफारिशों के बाद घरने, सत्याग्रह, हड़ताल करने और विभिन्न सरकारों द्वारा आश्वासन देने के बावजूद अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है जो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने 1977 के अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में इन अतिरिक्त विभागीय कर्माचरियों को सिविल पोस्ट धारक पद बताया है। इसका तात्पर्य राज्य के प्रशासनिक नियंत्रण में पद को धारण करने वाले कर्मचारी हैं। इस नाते सरकार का कर्तव्य है कि डाक विभाग में नियुक्ति सेवा शर्तों, सुविधाओं आदि को नियमित किया जाए, उनमें सुधार लाया जाए। सरकार ने इस निर्णय का गलत अर्थ लगाया। इन लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत भी कवर नहीं किया गया। छुट्टियों का लाभ एवं महिलाओं के प्रसूती अवकाश आदि में भी भेदभाव की नीति प्रचलित है। सीपीएफ, एचआरए, सीसीए, एलटीए, टीए, पदोन्नति, ग्रेच्युटी, अग्रिम भत्तों आदि से ये कर्मचारी वंचित हैं। अन्य कर्मचारियों की तरह 50 परसेंट डीए को वेतन के साथ मिलाने की कार्रवाई भी इन पर क्रियान्वित नहीं की गई। हालांकि डीए में समुजित वृद्धि के बावजूद वेतन प्लस डीए आदि की अन्य कर्मचारियों की भांति समुचित समान वृद्धि नहीं हो पा रही है।

अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि इन तीन लाख ग्रामीण डाक सेवकों की न्यायोचित एवं वाजिब मांगों को शीघ्र स्वीकार कर इनमें व्याप्त असंतोा को दूर किया जाए तथा छठे वेतन आयोग के टर्म्स एंड रैफ्रेंस में ग्रामीण डाक सेवकों की केटेगिरी को सम्मिलित किया जाए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी डाकिया हूं, इसलिए उनकी समस्याओं को जानता हूं। मै भी इनके साथ एसोसिएट करना चाहता हूं।

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY (PURI): Sir, I would also like to associate with what Prof. Rasa Singh Rawat has said.

उपाध्यक्ष महोदयः इनका नाम भी एसोसिएट कर लिया जाए।